• अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना

अस्वच्छ पेशा में लगे व्यक्तियों के बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को कक्षा 1 से 5 तक 25 रूपये प्रतिमाह एवं 500 रूपये मानदेय, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 40 रूपये प्रतिमाह एवं मानदेय के रूप में 500 रूपया तथा कक्षा 9 से 10 तक 40 रूपया प्रतिमाह एवं 500 रूपये मानदेय के रूप में दिया जाता है।

• विधवा पुत्री शादी योजना

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है जो विधवा पेंशन प्राप्त करती हों। इस योजना में 10,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है। उक्त योजना में लाभान्वित होने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पर अवेदक जिला समाज कल्याण कार्यालय को प्ररस्तुत किया जाता है। उक्त आवेदन पत्र के साथ विधवा पेंशन प्राप्त करने का जिला प्रोवेशन अधिकारी का प्रमाण पत्र होना अतिआवश्यक है। आवेदन पत्र परीक्षण के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। जिला समाज कल्याण द्वारा चेक के माध्यम् से लाभार्थियों में वितरित किया जाता है।

• अनुसूचित जाति पुत्री की शादी/बिमारी योजना

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के अनुसूचित जाति की पुत्री की शादी हेतु 10,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति के गंभीर बिमारी में 2000 रूपये की सहायता दी जाती है। इस योजना का आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है तथा इन्ही अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है।

• अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न योजना

इस योजना में गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का उत्पीडत्रन करने पर निम्नानुसार लाभ प्रदान किया जायेगा। बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुत के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कमांक	हत्या/ मृत्यु	सहायता धनराशि
1	परिवार के न कमाने वाले व्यक्तियों की मृत्यु पर	1,00,000 रूपया
2	कमाने वाले सदस्य के मृत्यु पर	2,00,000 रूपया
3	मिथ्या साक्ष्य देना	1,00,000 रूपया
4	पानी गन्दा करना	1,00,000 रूपया
5	मार्ग में रूढ़िजन्य अधिकारों से वंचित करना	1,00,000 रूपया
6	मतदान अधिकारी से वंचित करना	20,000 रूपया
7	महिला की लज्जा करना	50,000 रूपया
8	वेगार/वलान/बंधुआ मजदूर	25,000 रूपया
9	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना	2500 रूपया

• बुक बैंक योजना

इस योजना में पालिटेक्निक, इन्जिनियरिंग एवं मेडिकल के छात्र/छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकीय सहायता प्रदान की जाती है।

• अकिंचन मृतकों के दाह संस्कार योजना

इस योजना के अन्तर्गत लावारिस मृतकों के दाह संस्कार हेतु प्रति मृतक 500 रूपये प्रदान किया जाता है। शासन/विभाग से प्राप्त धनराशि जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाती है। जिलाधिकारी द्वारा वितरण की कार्यवाही की जाती है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

- **स्वतः रोजगार योजना**

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जााति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उद्यमियों को रोजगार हेतु स्वयं या बैंक के माध्यम् से वित्त पोषित कर रोजगार दिया जाता है। व्यवसायिक स्थल पर दुकान निर्माण हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को निगम द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को टाइप, शार्टहैण्ड एवं कम्प्यूटर में प्रशिक्षण दिया जाता है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com